संख्या:25/2025/001-3311205(2)/12-2099/92/2022-पार्ट-।।

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 31 मार्च, 2025

विषय:वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0112-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालाजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के अन्तर्गत (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति निरस्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 13/2025/001-3311205/12-2099/92/2022-पार्ट-।।, दिनांक 27 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0एन0ए0-स्पर्श के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0112-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालाजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (के 60+रा 40) के योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी में धनराशि रू0 4545.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय में धनराशि रू0 525.00 लाख अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रू0 5070.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी में (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि रू0 469.17 लाख (रूपए चार करोड़ उन्हत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या: अभि0/2013/विविध/लेखा/2024-25, दिनांक 29 मार्च, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 469.17 लाख (रूपए चार करोड़ उन्हत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) विषयक शासनादेश संख्या: 13/2025/001-3311205/12-2099/92/2022-पार्ट-।।, दिनांक 27 मार्च, 2025 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या:25/2025/001-3311205(3)/12-2099/92/2022-पार्ट-।। तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।